[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii)]

# Government of India MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, 24th August, 2017

S.O(E) In exercise of the powers conferred by sub-section
(3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central
Government hereby appoints the 24th day of August, 2017 as the date
on which the provisions of sub-sections (8), (9) and sub-section (10) of
section 212 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/12/2013 CL-V]

24/08/2017

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

### [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

#### भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 24 अगस्त, 2017

का.आ. ......... (अ).- केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अगस्त, 2017 को वह तारीख नियुक्त करती है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं.1/12/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार